Fax
Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
## NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

फा.सं. 17/8/inclusion/2013-RU-III

Dated 13/05/2016

सेवा में,

1. सचिव,
   जनजातीय कार्य मंत्रालय,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2. सचिव,
   आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन,
   नया रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. भारत के महापंजीयक,
   भारत सरकार,
   मानसिंह रोड़, नई दिल्ली

**विषयः छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बिंझिया समुदाय का शामिल करने बाबत।**

महोदय,

कृपया जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र सं. 12026/10/2005-सीएंडएलएम-1 दिनांक 21.03.2013, 05.09.2013, 18.10.2013 का संदर्भ ग्रहण करें। आयोग ने इस संबंध में अपने पत्र सं. 17/8/Inclusion/2013-RU-III दिनांक 16.12.2013 के द्वारा टिप्पण जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 120016/10/2005-सीएंडएलएम-1 दिनांक 02.11.2015 के साथ आपके पत्र सं. एफ 10-6/2009/25-3 भाग-2 दिनांक 30.09.2015 आयोग को भेजते हुए अवगत करवाया कि बिन्झिया समुदाय को छत्तीसगढ़ राज्य के केवल रायपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, कोरबा तथा कोरिया जिलों में जहां वे पाये जाते हैं, में क्षेत्र प्रतिबंध के साथ अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जा सकता है पर छत्तीसगढ़ सरकार की टिप्पणी है कि-

क. छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन जिलों के गठन संबंधी जारी अधिसूचना दिनांक 01.01.2012 के पूर्व बिंझिया जाति का नृजातीय अध्ययन कर पूर्ववर्ती जिलों रायपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, कोरबा एवं कोरिया में उक्त जाति को उनमें पाये गये जनजातीय लक्षणों के आधार पर राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी अभिमत 17.01.2011 को प्रेषित किया गया था।

ख. राज्य शासन द्वारा पुनर्गठन आदेश दिनांक 01.01.2012 के द्वारा पूर्व से स्थापित जिलों के अतिरिक्त 09 नवीन जिलों की स्थापना की गई है। पूर्ववर्ती रायपुर जिला तीन जिलों क्रमशः रायपुर, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में, इसी तरह अंबिकापुर (सरगुजा), सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज में विभक्त हो चुका है।

ग. प्रांतीय बिंझिया समाज सुधार संघ, छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष द्वारा भी अवगत कराया गया कि 09 नवगठित जिलों में से रायपुर में बलौदाबाजार-भाटापारा तथा गरियाबंद एवं अंबिकापुर (सरगुजा) जिले में से सूरजपुर एवं बलरामपुर जिला गठित हुआ है वहां भी बिंझिया जाति के लोग निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त बिंझिया जाति के लोग रायगढ़ एवं महासमुंद जिलों में भी निवासरत हैं, अतः रायगढ़ एवं महासमुंद जिलों को भी शामिल करने का कष्ट करें।

आयोग ने पत्र की जांच कर राज्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से पत्र दिनांक 06.01.2016 के द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही:-

1. रायपुर व अंबिकापुर(सरगुजा) में से बनाए गए नए जिलों की सीमा/क्षेत्र पूर्ववर्ती रायपुर एवं अंबिकापुर(सरगुजा) जिलों के अंतर्गत से ही हैं या किसी अन्य जिले की सीमा को शामिल किया गया है।
2. बनाए गए उक्त नए जिलों की जनसंख्या पूर्ववर्ती जिलों की जनसंख्या में से ही है या किसी अन्य जिले की जनसंख्या को शामिल किया गया है।
3. बिंझिया समुदाय की आबादी उक्त नौ जिलों में है या पूर्ववर्ती पांच जिलों के अनुरूप ही है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से प्राप्त उत्तर दिनांक 15.01.2016 ने अवगत कराया कि-"

1. रायपुर व अंबिकापुर (सरगुजा) बनाये गये जिलों की सीमा/क्षेत्र पूर्ववर्ती रायपुर एवं अंबिकापुर (सरगुजा) जिलो के अंतर्गत से ही हैं किसी अन्य जिले की सीमा को शामिल नहीं किया गया है।
2. बनाये गये उक्त नये जिलों की जनसंख्या पूर्ववर्ती जिलों की जनसंख्या में से ही है।
3. बिंझिया समुदाय की आबादी उक्त नौ जिलों में ही है।"

इस परिप्रेक्ष्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि उक्त नौ जिलों के अतिरिक्त जिला रायगढ़ एवं महासमुंद को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अतः कृपया रायगढ़ एवं महासमुंद जिले को शामिल करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर आयोग के अध्यक्ष महोदय ने **दिनांक 25.05.2016 को 12:00** बजे आपसे चर्चा करने का निर्णय लिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(के.डी.बंसौर)श्रीमती**

निदेशक